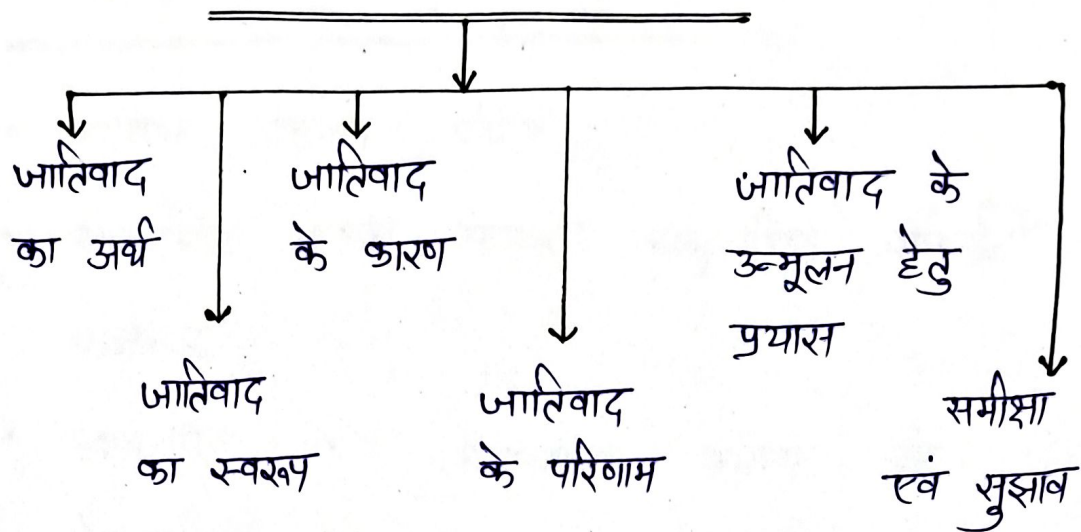


भारत में जातिवाद



अर्थ →

भारत में जातिवाद, वह सीमित एवं संकीर्ण भावना है, जिसके तहत प्रत्येक कार्य, स्वजाति के हित को ध्यान में रख कर किये जाते हैं।

जातिवाद की प्रकृति →

- प्रशासन में जातिवाद
- राजनीति में जातिवाद
- समाज में जातिवाद

जातिवाद के परिणाम - दुष्परिणाम →

- जातीय शोषण संभव
- सामाजिक तनाव फलतः सामुदायिक सौहार्दता का जोर
- राजनीति एवं सामाजिक तनाव से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित
- राष्ट्रीय एकता को चुनौती
- भ्रष्टाचार को बढ़ावा
- विकास की प्रक्रिया बाधित।

भारत में जातिवाद के कारण →

- जाति के प्रति भावनात्मक लगाव की निरंतरता
- अजगहानी प्रथा की समाप्ति
- संरक्षणात्मक भेदभाव की नीति
- जातीय संगठनों की भूमिका
- जाति-राजनीति संबंध के नकारात्मक तत्व।

जातिवाद के उन्मूलन हेतु प्रयास →

- संविधान में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग बंद कर दिया गया।
- कानूनी कार्यवाही और विभिन्न मुकदमों की सुनवाई के दौरान वादी एवं प्रतिवादी का केवल नाम का प्रयोग।
- हिन्दू विवाह अधिनियम के द्वारा विभिन्न जातियों के बीच विवाह को मान्यता।
- अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन।
- व्यवसायिक निर्योग्यता की समाप्ति।
- सभी नागरिकों को समानता का अधिकार।
- कगजोर जातियों को आरक्षण।
- गैर-सरकारी संगठन एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा जातिवाद के विरुद्ध व्यापक प्रचार अभियान।

Q1- जातिवाद आज समकालीन भारतीय

समाज की प्रमुख समस्या है। इसके कारणों की चर्चा कीजिए और इसके उन्मूलन हेतु किए गए प्रयासों के बारे में बताइए।

Q2- जातिवाद क्या है ? यह किस प्रकार भारतीय समाज के लिए एक समस्या बना हुआ है ? संक्षेप में समझाइए।

Q3- भारत में जातिवाद ने न केवल सामुदायिक सौहार्दता को कमजोर किया है बल्कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को भी बाधित किया है। चर्चा कीजिए।

भारत आधारित जनगणना

हिन्दू	81.99%
इस्लाम	17.70%
बौद्ध	0.08%
<u>क्रिश्चियन</u>	0.06%
जैन	0.01%
सिक्ख	0.01%
अन्य	0.13%

किसी भी राज्य या क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या का जातिवार विवरण को 'भारत जनगणना' या 'भारत आधारित जनगणना' कहा जाता है।

ऐतिहासिक विश्लेषण →

- 1881 से 1931 तक भारत में जारी आधारित जनगणना सम्पन्न ।
- तत्पश्चात् 1951 से 2011 तक केवल SC और ST (अनुसूचित जाति और जनजाति) की गणना ।
- 1980 में OBC के अंतर्गत आने वाली जातियों की जनगणना (पायलट स्टडी के रूप में) सम्पन्न (1931 की जनगणना के आधार पर) -
और मण्डल कमीशन द्वारा OBC के रूप में 5-2% जनसंख्या तथा 125-7 जातियों की पहचान,
तथा OBC को 1990 में सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण और 2006 में शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण ।

• स्वतंत्र भारत की पहली जाति आधारित जनगणना २०११ में प्रारंभ और ३१ मार्च २०१६ को समाप्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस जनगणना के निम्न उद्देश्य बताए गए—

(i) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की जानकारी प्राप्त करना।

(ii) विभिन्न जातियों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।

(iii) इन सूचनाओं के आधार पर सरकार द्वारा विकास कार्यक्रमों का निर्माण एवं सम्पादन करना।

• २०११ की यह जनगणना संसार की सबसे महंगी जनगणना (५००० करोड़ रुपये) परंतु

आँकड़ा अभी तक जारी नहीं।

- कई राजनीतिक दलों एवं संगठनों द्वारा आँकड़ा जारी करने की माँग।

- २ अक्टूबर २०१७ में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोग का गठन और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग के और वर्गीकरण पर बल।

- सितम्बर २०१८ में, भारत सरकार द्वारा २०२१ की जनगणना में पुनः OBC की जनगणना करने की घोषणा।

- १४ फरवरी २०१९ और २७ फरवरी २०२० को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधान सभा और विधान परिषद में पारित।

- सितम्बर २०२० को २०११ की जातिगत जनगणना के आँकड़े केन्द्रीय सामाजिक

न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को सौंपे गए ताकि उनका वर्गीकरण एवं उन्हें भौणीबद्ध किया जा सके।

- 10 मार्च 2021 को केन्द्र सरकार ने राज्य सभा में स्पष्ट किया कि 2011 की जाति-गत जनगणना की रिपोर्ट जारी नहीं की जाएगी।

- 8 अक्टूबर 2021 को तेलंगाना विधान सभा में तथा 23 नवम्बर को आंध्र प्रदेश विधान सभा में 2021 में OBC की जातिवार जनगणना कराने हेतु मांग को लेकर प्रस्ताव पारित।

- 2 जून 2022 को बिहार कैबिनेट द्वारा बिहार में अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी।

- जनवरी २०२३ को बिहार में जारी आधारित सर्वेक्षण दो चरणों में प्रारंभ -

प्रथम चरण - ७ जनवरी से २१ जनवरी

द्वितीय चरण - १५ अप्रैल से १५ मई।

- २ अगस्त २०२३ जारी आधारित जनगणना पुनः शुरू और ६ अगस्त २०२३ को जनगणना का कार्य पूर्ण परन्तु यह मामला SC में और ३ अक्टूबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित।

- अक्टूबर २०२३ बिहार सरकार द्वारा जारी जनगणना की रिपोर्ट जारी।

जारी आधारित जनगणना के पक्ष में तर्क / लाभ →

- जारी प्रधान भारतीय समाज में विभिन्न

जातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति की जानकारी संभव।

- विभिन्न जातियों की सही संख्या व स्थिति के आंकड़ों से उनके लिए समुचित विकास कार्यक्रमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन संभव।

- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या की मात्रा व प्रकृति की पहचान व उनके लिए समुचित कार्यक्रम बनाना संभव।

- आरक्षण व्यवस्था का तार्किकीकरण संभव।

- सामाजिक न्याय से युक्त विकसित एवं आधुनिक भारत का निर्माण संभव।

विपक्ष में तर्क / दानि →

- विभिन्न जातियों के मध्य विद्वेष की

भावना में वृद्धि तथा सामुदायिक सौहार्द्रता का ज़ोर।

- सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जाति बदल कर दर्ज करवाने की संभावना।
- गलत सूचना से सभ्यता एवं सामाजिक न्याय का लक्ष्य बाधित।
- आरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न जातियों में संघर्ष व तनाव में वृद्धि की संभावना।
- जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा और लोकतंत्र को खतरा।
- आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बाधित।

निश्चित रूप से जाति आधारित जनगणना के कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं, परन्तु भारत जैसे

जारी प्रधान देश में जहाँ जारी व्यवस्था कुछ परम्परागत स्वरूप तथा नवीन स्वरूपों के साथ अपनी निरंतरता को बनाए हुए है और आरक्षण हेतु सामाजिक - शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार के रूप में क्रियाशील है, आधुनिक समाज के निर्माण के तर्क पर जारी आधारित जनगणना के लाभों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अतः निष्कर्ष है कि समकालीन भारत में जारी आधारित जनगणना कुछ हानियों के बावजूद आवश्यक एवं प्रसंगिक है क्योंकि इससे न केवल विकास कार्यक्रमों को बांँटित लोगों तक पहुँचाने में मदद मिलेगी बल्कि आरक्षण व्यवस्था

का तार्किकीकरण करके सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य की प्राप्ति भी संभव हो पायेगी।

Q1- भारत में जारी आधारित जनगणना के औचित्य का परीक्षण कीजिए।

Q2- भारत में जारी आधारित जनगणना, आरक्षण व्यवस्था के तार्किकीकरण में कहाँ तक सहायक हो सकती है ? उपर्युक्त तर्कों के साथ उत्तर दीजिए।